दिनांक 11.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का किया गया शुभारम्भ

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 11.11.2025 को कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा द्वारा अपने सम्बोधन में साइबर जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित पुलिस कमिश्नर आगरा, जिलाधिकारी आगरा, विभिन्न स्कूलों के शिक्षकगण एवं छात्र–छात्राओं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) तथा S.N मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, पर्यटन विभाग से जुड़े गाइड एसोसिएशन के सदस्य एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कमिश्नरेट आगरा के साइबर सेल तथा थानों के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, मीडिया बंधुओं तथा कार्यशाला को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बनाने हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान करने वाले साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन का आभार व्यक्त किया गया तथा इस कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जन–जागरूकता फैलाने के लिए आयोजकों तथा विशेषज्ञगण का धन्यवाद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उनके द्वारा निर्धारित 10 प्राथमिकताओं में साइबर क्राइम एक प्रमुख वर्टिकल है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कहा गया कि आज के डिजिटल युग में साइबर उपयोग जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। कोविड काल के पश्चात ई–कॉमर्स के क्षेत्र में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की सक्रियता में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग इंटरनेट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, किन्तु इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज का युवा वर्ग साइबर गेमिंग की लत जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

1. समाज पर साइबर अपराध का प्रभाव

वर्तमान परिदृश्य में समाज का शायद ही कोई वर्ग साइबर क्राइम से अप्रभावित रहा हो।

- हमारे स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं।
- महिलाएं एवं बालिकाएं साइबर स्टॉकिंग तथा अन्य महिला–केंद्रित साइबर अपराधों की शिकार होती हैं।

2. डिजिटल अरेस्ट– एक उभरता खतरा

डिजिटल अरेस्ट एक उभरता हुआ साइबर अपराध है, जिससे सभ्रांत वर्ग के नागरिक शिकार हुए हैं और जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं।

3. आर्थिक अपराध के तीन प्रमुख कारण

अधिकांश लोग तीन कारणों से साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं–

1. लालच
2. भय
3. लापरवाही

4. नागरिकों के लिए तीन जरूरी उपाय

साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को इन तीन उपायों पर ध्यान देना चाहिए:

- तत्काल 1930 डायल करें।
- गोल्डन टाइम–फ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें।
- सही तथ्यों को दर्ज करें।

5. बच्चों और युवाओं में साइबर सजगता

बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में सतर्क करना आवश्यक है।
आज के युग में सोशल मीडिया नशे की तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसके लिए हमें और अधिक सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

6. पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश

थाना प्रभारियों को यह अवधारणा त्यागनी होगी कि ''साइबर अपराध की जांच हम नहीं कर सकते।'' साइबर अपराध की जांच (Investigation) पूर्णतः SOP आधारित एवं व्यवस्थित (Straightforward) है। यदि कोई अधिकारी इसे खुले मन से सीखना चाहे तो इसके छह–सात चरणों को समझकर पाएगा कि यह सामान्य आपराधिक जांच से भी अधिक सरल और त्वरित है। साइबर अपराध का दायरा और दुष्प्रभाव प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास और कौशल जितना बढ़ेगा, उतना ही नागरिको का पुलिस पर विश्वास और भरोसा भी सुदृढ़ होगा।

7. साइबर सुरक्षा में नागरिक सहभागिता

साइबर क्राइम से बचाव हेतु मजबूत पासवर्ड एवं अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और सदैव सतर्क रहें।

- उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक–केंद्रित, त्वरित एवं पारदर्शी साइबर कानून प्रवर्तन के साथ–साथ राज्य को साइबर अपराध–मुक्त तथा देश को साइबर नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
- यह लक्ष्य तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक सतर्क, सजग और सहयोगी बनकर इस मिशन में सहभागी बने।
- सुरक्षित डिजिटल उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब जनता और पुलिस साथ हों।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
RAJEEV KRISHNA

दिनांक 11.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस०टी0एफ०–जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 11–11–2025 को एस०टी0एफ० उत्तर प्रदेश को थाना–सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191(2),191(3),190,115(2), 352,351(3)109(1),131, 110 बीएनएस में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय को कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

सच्चिदानन्द पाण्डेय पुत्र श्री स्व0 नन्दकिशोर पाण्डेय, ग्राम बवारिहा, पहाड़पुर थाना– सांगीपुर, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

आटो स्टैन्ड, चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 11–11–2025 समय करीब 07:30 बजे सुबह।

एसटीएफ उ०प्र० द्वारा फरार व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों/टीमों को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय उ०प्र०, लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ टीम द्वारा वांछित एवं रू0 50,000/– रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय चारबाग रेलवे स्टेषन लखनऊ में ट्रेन पकड़ कर कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण नीरज कुमार पाण्डेय, राजीव कुमार, आरक्षी श्रीराम सिंह, की टीम द्वारा आटो स्टैन्ड, चारबाग रेलवे स्टेषन लखनऊ से मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके रिश्तेदार एवं मित्र देवदत्त शुक्ला जो कि वर्तमान में प्रधान हैं। हम लोगों के घर के पास एक तलाब है जिसके कब्जे को लेकर काफी समय से विपक्षी अधिवक्ता भानू प्रताप पाण्डेय से विवाद चल रहा है। दिनांक 22/10/2025 हम सभी लोग कमलनरायण पाण्डेय, देवदत्त शुक्ला, आदित्य पाण्डेय, सौरभ दत्त शुक्ल, विपिन शुक्ल व अन्य साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से विवाद ही खत्म कर देने की नियत से भानू प्रताप पाण्डेय एवं उनके परिवारीजनों पर जॉनलेवा हमला किया गया था, जिसमे इलाज के दौरान दिनांक 04.11.2025 को अधिवक्ता भानू प्रताप पाण्डेय की मृत्यु हो गयी। इसके सम्बन्ध में मेरे विपक्षी अभिषेक पाण्डेय द्वारा थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191(2),191(3),190,115(2),352, 351(3)109(1),131,110 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के बाद से ही मैं फरार चल रहा था। मेरे व मेरे रिश्तेदार एवं अन्य साथियों के विरूद्ध पुरस्कार घोषित होने की जानकारी होने पर मैं इधर–उधर लुक छिपकर रहने लगा और गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं बाहर भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त सच्चिदानन्द पाण्डेय उपरोक्त को मु0अ0सं0 202/2025 थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

<u>जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **59 हजार 950 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 11.11.2025 को थाना परसरामपुर, थाना गौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुसमौर डीह वाले बन्धे के पास से 04 अभियुक्तों 1–अतीक अहमद 2–निशार अहमद 3–अफरीद मुहम्मद 4–साजीम अली को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 59 हजार 950 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09.2025 को थाना परसरामपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अतीक अहमद के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव, बस्ती व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 31 अभियोग, अभियुक्त निशार अहमद के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, शाहजहाँपुर, बरेली, सीतापुर, कन्नौज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 35 अभियोग, अभियुक्त अफरीद मुहम्मद के विरूद्ध जनपद खीरी, बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त साजीम अली के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतीक अहमद निवासी कस्बा सिंगाही थाना सिंगाही जनपद लखीमपुर खीरी।

2–निशार अहमद निवासी नगरीय कला थाना फटेटगंज पूर्वी बरेली।

3–अफरीद मुहम्मद निवासी भिड़ौरा थाना सिंगाही जनपद लखीमपुर खीरी।

4–साजीम अली निवासी बथुला टाण्डा थाना सिंगाही जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1–चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–59 हजार 950 रूपये नगद आदि।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 दो पहिया वाहन एवं 02 मोटर साइकिल की चेचिंस आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 10.11.2025 को थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–प्रदीप उर्फ सोनू 2–इंतजार को घायल/गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 दो पहिया वाहन एवं 02 मोटर साइकिल की चेचिंस आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व कमिश्नरेट गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 55 अभियोग एवं अभियुक्त इंतजार के विरूद्ध जनपद बागपत, शामली के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप उर्फ सोनू निवासी चांदनहेडी थाना छपरौली जनपद बागपत।

2–इंतजार निवासी हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी

1–चोरी की 06 दो पहिया वाहन एवं 02 मोटर साइकिल की चेचिंस आदि।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद मऊ/थाना रानीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना रानीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मनोज 2–रामवृक्ष 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/34 भादवि व

4/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नित्यानन्द उर्फ नीतू 2–सुरेन्द्र को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद पीलीभीत/थाना बिलसंडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना बिलसंडा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को आजीवन कारावास व 40 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना लोनीकटरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना लोनीकटरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 3/4पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रूपईडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सयपुरा को 15 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना नरौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि

के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना चाँदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना चाँदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/354ए/452/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामकिशुन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गया।

———————